



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP238362017A1019099 ✓
पंजीकरण की तिथि	16/01/2017
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिंट करने की तिथि	16/01/2017
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	9611500
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	0
पंजीयन शुल्क (रुपये)	202750
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	270000
उप पंजीयक का नाम	PARMANAND MESHRAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय मण्डला

पट्टेदार-पीओए धारक

संगठन का नाम ओ सी एल इंडिया लिमिटेड
अधिकृत व्यक्ति का नाम चन्द्रशेखर
पता ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड सिविल लाइन्स बम्हनी बंजर तहसील एवं जिला मण्डला, मण्डला, मध्य प्रदेश, भारत

संगठन का नाम ओ सी एल इंडिया लिमिटेड
अधिकृत व्यक्ति का नाम अश्वनीकुमारडालमियां
पता ओ सी एल इंडिया लि.सिविल लाइन बम्हनी बंजर तहसील एवं जिला मण्डला


पट्टादाता- स्वयं


नाम डी के लखेरा
पिता/पति का नाम --
पता कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा मण्डला तहसील एवं जिला मण्डला, मण्डला, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by MESHRAM
PARMANAND
Date: 2017.01.16
18:14:19 IST



उप पंजीयक के हस्ताक्षर





MP23836287-A 0/9099

नगद रसीद विवरण

नगद रसीद विवरण

जमाकर्ता का नाम: चंद्रशेखर ठाकुर

नकद: cash160120177436893

जमा तिथि: 16/01/2017 06:11:49 PM

नकद राशि: 250

रसीद प्रयोजन: पंजीकरण शुल्क

राजस्व मुख्य शीर्ष: 0030

राजस्व उप मुख्य शीर्ष: 03

राजस्व गौण शीर्ष: 104

पीओएस सन्दर्भ क्रमांक: -

सर्विस संपदा द्वारा प्रदान की जा रही?: हां

विधि : नकद

उप पंजीयक कार्यालय: उप पंजीयक कार्यालय मण्डला

जिला: मण्डला

उप पंजीयक /जिला पंजीयक नाम: PARMANAND MESHAM

रसीद प्रिंट करें

बंद करें

MP
राजस्व
मण्डला (म.प्र.)
paid



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01012316012017001341		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	270000		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	270000	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	16/01/2017 12:01:11 PM		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	veerendra kumar mishra/SP012340605201500873		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	VILL.-LALIPUR(MANDLA) मण्डला मण्डला		

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	पट्टा
लिखत	किसी भी कालावधि का खनन पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार सम्मिलित है - ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 0.75 प्रतिशत।
उद्देश्य	पूरक अनुबंध गौण खनिज डोलोमाइट


पहले पक्ष के विवरण


नाम	डी के लखेरा
पता	कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा मण्डला तहसील एवं जिला मण्डला
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	अश्वनीकुमारडालमियां द्वारा(मुख्यार आम) चन्द्रशेखर
पता	ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड सिविल लाइन्स बम्हनी बंजर तहसील एवं जिला मण्डला
व्यक्तियों की संख्या	1

पूरक अनुबंध गौण खनिज डोलोमाइट(ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड मुगदरा डोलोमाइट माइंस)पूरक अनुबंध-अनुबंध निष्पादन दिनांक 13.01.2017 म.प्र.शासन,खनिज शासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3-160/73/12 भोपाल,दिनांक 27.11.1973 के द्वारा







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पूरक अनुबंध गौण खनिज डोलोमाइट
(ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड मुगदरा डोलोमाइट माइंस)


ग्राम मुगदरा प.ह.नं.32/62 रा.नि.मं.चिरईडोंगरी तहसील नैनपुर जिला मण्डला की भूमि खसरा नंबर 807/1,808/2,811/1 जिसका नया खसरा नंबर 1159/1,1159/2, कुल रकवा 19.223 हे.पर खनिज डोलोमाइट का खनि पट्टा बीस वर्ष की अवधि दिनांक 25.05.1974 से 24.05.1994 तक के लिए मेसर्स ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत एवं अनुबंधित किया गया था।

म.प्र.शासन खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ-19-5-2015/12-1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 में दर्शित अनुसार खान एवं खनिज (विकास तथा विनिमय अधि.1957 की धारा-8ए(6)के अनुसार जहां खनिज का उपयोग केप्टिव प्रयोजन के अलावा विभिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता था।उनकी अवधि 31 मार्च 2030 तक अथवा विगत नवकरण की अवधि पूर्ण होने या मूल स्वीकृति से 50 वर्ष,इनमें से जो बाद में हो,तक पट्टा शर्तों के पालन किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाना है।

कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा)मण्डला के आदेश क्र-1/2016/945 मण्डला,दिनांक 14 दिसम्बर 2016 में दर्शित है कि उपरोक्त खनि पट्टा केप्टिव प्रयोजन के अलावा विभिन्न प्रयोजन के लिए स्वीकृत है।खनि अधिकारी मण्डला के द्वारा यह पाया गया है कि पट्टेदार मेसर्स ओ.सी.एल.इंडिया लि.द्वारा खनिज संरक्षण तथा विकास नियम 1988 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।खनि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन भी नहीं किया गया है तथा पट्टेदार पर कोई बकाया राशि नहीं है।उपरोक्त खनि पट्टे की मूल अवधि 25.05.1974 से 24.05.2014तक है इस अवधि में शासन द्वारा 25.05.1994 से 24.05.2014 तक प्रथम नवकरण आदेश पारित किया गया था।जो उप पंजीयक कार्यालय मण्डला के ग्रंथ क्रमांक 3049 दस्तावेज क्रमांक अ-1/1344 पृष्ठ क्रमांक 81/116 दिनांक 25.07.2000 के तहत पंजीबद्ध है।

उपरोक्तानुसार मुगदरा रा.नि.मं.चिरईडोंगरी तहसील नैनपुर जिला मण्डला के खसरा नंबर 807/1,808/2,811/1 जिसके संशोधित नये खसरे नंबर 1159/1,1159/2 कुल रकवा 19.223हे.मेसर्स ओ.सी.एल.इंडिया लिमि.के पक्ष में उक्त खनि पट्टा नान केप्टिव खदान की मूल अवधि स्वीकृति दिनांक 25.05.74 से 24.05.2024 तक के लिए विस्तारित मान्य की जाती है एवं म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-19-5-2015/12-1,भोपाल दिनांक 12.03.2015 के परिपेक्ष्य में उपरोक्त स्वीकृत खनि पट्टा का समय वृद्धि 25.05.2014 से 24.05.2024 दस वर्ष का पूरक अनुबंध किया जा रहा है।

अतः म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-19-5-2015/12-1 भोपाल,दिनांक 12.03.2015 के अनुसार खान एवं खनिज(विकास तथा विनिमय)अधिनियम 1957,संसोधित अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(5)के अधीन स्वीकृत खनि पट्टा की अवधि मूल स्वीकृति की तिथि से 50 वर्ष हो चुकी है।पट्टेदार मेसर्स ओ.सी.एल.इंडिया लिमि.ग्राम मुगदरा रा.नि.मं.चिरईडोंगरी तहसील नैनपुर जिला मण्डला की भूमि खसरा नंबर 807/1,808/2,811/1 संशोधित नये खसरा नंबर 1159/1,1159/2 कुल रकवा 19.223हे.क्षेत्र पर खनिज डोलोमाइट के स्वीकृत खनि पट्टा को शासन के आदेश दिनांक 12.03.2015 के





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

ओ सी एल इंडिया लिमिटेड

प्रतिनिधित्व:-

अश्वनीकुमारडालमियां द्वारा(मुख्यार
आम) चन्द्रशेखर



के द्वारा उप जिला मण्डला जिला मण्डला के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 16/01/2017 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात
06:07:25 बजे प्रस्तुत किया गया।

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

परिपेक्ष्य में खनि पट्टा की मूल अवधि से 50 वर्ष अर्थात् 25.05.1974 से 24.05.2024 तक (25.05.2014 से 24.05.2024 तक 10 वर्ष)समय वृद्धि/नवकरण किये जाने हेतु विषयक पूरक अनुबंध किया जाता है। पट्टेदार को खनि रियायत नियमावली 1960 के नियमों तथा अनुबंध पत्र की शर्तों का पालन करना होगा, एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूरक अनुबंध मूल अनुबंध का भाग माना जावेगा।

राज्यपाल(पट्टाकर्ता)
के लिए तथा उनकी ओर से
कलेक्टर मण्डला
द्वारा हस्ताक्षरित
दिनांक 13.01.2017

पट्टेदार
मेसर्स ओ.सी.एल.इंडिया लिमि.
द्वारा अधिकृत मुख्त्यार आम
चन्द्रशेखर पिता श्री नागेन्द्र प्रसाद ठाकुर आयु 37 वर्ष जाति भूमिहार ब्राम्हण निवासी ब्लाक 301, बंशल
प्लाजा अपार्टमेंट स्टेशन रोड रांची
तहसील एवं जिला रांची (झारखंड) आधार क्र.6333 8311 8621
दिनांक 13.01.2017

साक्षी-


1-

महेश कुमार शर्मा आयु 60 वर्ष पिता स्व.मालीराम शर्मा
जाति ब्राम्हण निवासी राठौर कालोनी राजगांगपुर
तहसील राजगांगपुर जिला सुन्दरगढ(उडीसा)
परि.क्र.ओ आर/20/137/330257

2-

किशोर कुमार ठाकुर पिता श्री तामसिंह ठाकुर आयु 42 वर्ष जाति पंवार
निवासी वार्ड नं.14 गंगोत्री कालोनी वारासिवनी तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.
आधार क्रमांक 7393 1228 7797
(वीरेन्द्र कुमार मिश्रा सर्विस प्रोवाइडर मण्डला मो.नं.9425485147)

-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

ओ सी एल इंडिया लिमिटेड

प्रतिनिधित्व:-

अश्वनीकुमारडालमियां द्वारा (मुख्यार
आम) चन्द्रशेखर

पता: ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड सिविल लाइन्स
बम्हनी बंजर तहसील एवं जिला मण्डला

डी के लखेरा

पता: कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा मण्डला तहसील
एवं जिला मण्डला

स्वीकार करते हैं कि कथित पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 36000000 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 16/01/2017

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 4306530 एवम ई-स्टाम्प कोड 01012316012017001341 हैं, के प्रष्ठ क्रमांक 1 से 4 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

राज्यपाल (पट्टाकर्ता)
के लिए तथा उनकी ओर से

पट्टेदार

मेसर्स ओ.सी.एल.इंडिया लिमिटेड
द्वारा अधिकृत मुख्तयार आम
चन्द्रशेखर पिता नागेन्द्र प्रसाद ठाकुर
जाति-भूमिहार ब्राम्हण आयु 37 वर्ष,
निवासी-ब्लाक 301, बंशल प्लाजा अपार्टमेंट स्टेशन
रोड रांची तहसील एवं जिला रांची झारखण्ड
आधार क्रमांक 6333 8311 8621
मो.नं.9437462594



कलेक्टर
मण्डला

खनिज अधिकारी
(मायाराम धुर्वे)
खनिज शाखा, मण्डला (म.प्र.)

साक्षी -

1. महेश कुमार शर्मा पिता स्व.मालीराम शर्मा
जाति ब्राम्हण आयु 60 वर्ष
निवासी- राठौर कालोनी राजगांगपुर
तह. राजगांगपुर जिला सुन्दरगढ उड़ीसा
परि.क्र.ओ आर/20/137/330257

2. किशोर कुमार ठाकुर पिता तामसिंह ठाकुर
जाति पंवार आयु 42 वर्ष
निवासी वार्ड नं.14 गंगोत्री कालोनी वारासिवनी
तह. वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.
आधार क्रमांक 7393 1228 7797





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

महेश कुमार शर्मा

पुत्र/आत्मज मालीराम शर्मा

पता: निवासी-राठौर कॉलोनी, राजागांगपुर,
तहसील-सुन्दरगढ, उडीसा

किशोर कुमार ठाकुर

पुत्र/आत्मज तामसिंह ठाकुर


पता: निवासी-वार्ड नं. 14 गंगोत्री कॉलोनी,
वारासिवनी, तहसील - वारासिवनी, जिला- बालाघाट,
मध्यप्रदेश

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 16/01/2017

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला




रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश




Handwritten signature




Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



Chandrashekar



इस दस्तावेज के निष्पादक अश्वनीकुमारडालमियां द्वारा(मुख्यार आम) चन्द्रशेखर के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 16/01/2017 को लिया गया ।

Parmanand Meshram

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला



Mahesh Kumar Sharma



इस दस्तावेज के निष्पादक के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 16/01/2017 को लिया गया ।

Parmanand Meshram

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला


गवाह मुद्रा :



Mahesh Kumar Sharma





महेश कुमार शर्मा





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :



किशोर कुमार ठाकुर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	270000
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	270000

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 16/01/2017 को क्रमांक
MP238362017A1019099 दे कर किया गया है। जिसमें 16 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 270000

पंजीयन शुल्क 202750

प्रतिलिपि शुल्क 0

अधिक 0

योग 202750

PARMANAND MESHARAM
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय मण्डला

